भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3437

उत्तर देने की तारीखः 09.12.2019

मैथिली भाषा

3437. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह करोड़ों लोगों की बोल चाल की भाषा है;

(ग) क्या यह भाषा सीबीएसई/सीटीईटी पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं की गई है;

(घ) क्या सरकार का इस भाषा को प्राथमिक स्तर पर शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) :- जी, हां।

(ग) स्कूल, छात्रों की आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्तर पर भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) इस संबंध में कोई निदेश नहीं देता है।

सरकार ने सीबीएसई को केन्द्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीबीएसई को कहा है कि सीटेट का आयोजन 20 भाषाओं में होना चाहिए।

(घ) और (ड़):- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क-2005 और अन्य शिक्षा संबंधी नीति दस्तावेजों की सिफारिशों के अनुसार, मातृ भाषा को पहली भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद स्कूल स्तर पर दो और भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षा का राज्य और केन्द्र दोनों का विषयक्षेत्र होने के कारण राज्य स्वयं अपनी शिक्षा नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****